**Lapse in Purchase Indent of G.B. Pant Hospital, Delhi**

6376. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether according to news reported in Indian Express dated the 4th March, 1995 there is no purchase indent for the equipments worth Rs. 20 crores that are remaining unused in the G.B. Pant Hospital in Delhi;

(b) if so, the reaction of Government and the steps taken to transfer the same to other hospitals in the city; and

(c) the action taken to fix up the responsibility for this lapse?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) to (c) The Government of National Capital Territory of Delhi have reported that various Committee appointed by them have pointed out irregularities in the purchase of equipments, etc. during the period from 1988 to 1990. A case of financial irregularities in G.B. Pant Hospital is pending for final disposal in the High Court of Delhi.

**केन्द्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम**

6377. **श्री ईश दत्त यादव:**
**श्री आस मोहम्मद:**

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**ग्रामीण क्षेत्रों में सचल औषधालय**

6378. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सचल औषधालयों की व्यवस्था अब तक न कर पाने के क्या कारण है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार):** राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों समेत ग्रामीण और दूरस्त क्षेत्रों में केन्द्रीय चल-एककों और जिला चल एककों के माध्यम से नेत्र परिचर्या संबंधी सेवाएं पहले से ही प्रदान की जाती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रदाय केन्द्र से पांच कि०मी० की दूरी पर स्थित आदिवासी बस्तियों के मामले में 7.5 प्रतिशत नए उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्यों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने के लिए जनसंख्या संबंधी विशिष्ट मानदंड पहले से ही निर्धारित हैं।

**स्वास्थ्य शिक्षा**

6379. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य बनाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव को लागू करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विश्वास में लिया गया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा):** (क) से (ग) मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने सभी स्तरों की स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना को प्रकाशित किया है। माध्यमिक स्तर तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का विषय स्कूल पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य अंग है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा के कतिपय उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है और उसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में प्रयोग की जा रही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया